प्रेषक,

विकास गोयल,
विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 4, कानपुर नगर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

विषयः पुरानी पेंशन योजना (OLD PENSION SCHEME) का विकल्प ग्रहण करने हेतु।

महोदय,

1. ससम्मान निवेदन है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश सं०– 14/2024/ सा–3–243/ दस–2024/301(1)/2024 दिनांकितः 28.06.2024 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के विकल्प की व्यवस्था प्रदान की गयी है।

2. इस सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा विज्ञप्ति सं0 A-2/E-1/2003 का विज्ञापन 22–28 नवम्बर 2003 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। जिसके अनुक्रम में प्रार्थी की नियुक्ति सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग–4 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 दिनांकः 26 मई, 2006 द्वारा हुई है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी Notification No. 947/DR(S)/2006 Dated: Allahabad: June 13, 2006 के अनुपालन में प्रार्थी ने दिनांकः 15.06.2006 को जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान में प्रार्थी अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है।

02-8-2024

3. राज्य सरकार उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0– 14/2024/ सा–3–243/ दस–2024/301(1)/2024 दिनांकितः 28.06.2024 तथा शासनादेश सं0– 20/2024/ सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकितः 11 जुलाई, 2024 द्वारा अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प ग्रहण किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी है। जिसके अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्रांक सं0 9283/VIIb-104/Admin D Section Dated 08-07-2024 व 9691/IV-F-82 (Pension)/Admin.(A) Dated 16-07-2024 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

4. ऐसे में प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) को परित्याग करते हुए **पुरानी पेंशन योजना का विकल्प ग्रहण करता है**। जिसके लिये प्रार्थी शासनादेश सं0– 20/2024/ सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकितः 11 जुलाई, 2024 के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर **पुरानी पेंशन योजना** में सम्मिलित होने का विकल्प पत्र प्रेषित कर रहा है।

5. अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर **पुरानी पेंशन योजना** में सम्मिलित होने का विकल्प पत्र माननीय न्यायालय व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।

सादर।

02.8.2024

(विकास गोयल)
ID UP6172
विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 4, कानपुर नगर।

दिनांकः 02.08.2024

संलग्नकः विकल्प पत्र।

<u>कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर।</u>

पत्रांकः 1832/I /कानपुर नगर दिनांकः 02/08/2024
महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर

(शासनादेश सं0–20/2024/ सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकः 11जुलाई, 2024 का संलग्नक)

विकल्प पत्र

1.	नाम	**विकास गोयल (Vikas Goyal)**
2.	वर्तमान पदनाम	**विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 4, कानपुर नगर।**
3.	वेतनमान	**J5 मु0 1,44,840-1,94,660 रूपये**
4.	वर्तमान विभाग का नाम	**न्याय विभाग**
5.	राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	**न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
6.	विज्ञप्ति की तिथि	**22–28 नवम्बर 2003 रोजगार समाचार पत्र (विज्ञापन संख्या- A-2/E-1/2003)**
7.	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	**26 मई, 2006 (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग–4 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 2430/ II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 दिनांकः 26 मई, 2006)**
8.	योगदान की तिथि	**15.06.2006**
9.	जन्म तिथि	**17.04.1976**
10.	सेनानिवृति की तिथि	**30.04.3036**

मैं विकास गोयल पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ गोयल शासनादेश सं०–14/2024/ सा–3–243/ दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना** (√) / ~~नवीन पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर – Goyal
नाम – विकास गोयल
पदनाम–विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 4, कानपुर नगर।

घोषणा पत्र

मैं विकास गोयल पदनामः विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 4, कानपुर नगर यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त क्रम संख्या– 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– Goyal
नाम– विकास गोयल
पदनाम–विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 4, कानपुर नगर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री विकास गोयल पदनामः विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 4, कानपुर नगर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना** (√) / ~~नई पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

Pradeep 02/08/2024

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर

Digitally signed by Vikas Goyal
Date: 2024.08.02 15:43:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court